

PS/CMD/ITR.No. 1970

SECRETARY (ADMN.) RAJASTHAN

25/08/2022

2620 25/08/2022

Dir(F)/Dir(O)/Secy(A)

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग

25 AUG 2022

क्रमांक:-प. 10(1)प्रसु/सम/अनु-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 24.08.2022

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय विभागों में पत्रावलियों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है जो राजकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक है। राज्य सरकार राजकीय कार्यों का निस्तारण पारदर्शी, तीव्रता व जवाबदेही तरीके से करने हेतु कटिबद्ध है। अतः राजकीय कार्यालयों में सुशासन की दृष्टि से विचाराधीनपत्र (P.U.C.)/पत्रावलियों पर प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित करावे।

उक्त निर्देशों की पालना समस्त राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/आयोग में सुनिश्चित की जावे। निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा।

341
(उपा. समी.)
मुख्य सचिव
23/8/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
7. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर-प्रचार प्रसार हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

3
(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

Copy submitted to all concerned for strict compliance of the order.

Secretary (Admn.)
Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran
Nigam Ltd. Jaipur

SE(MIS & IT) for uploading the same on website and forwarding on group email.